BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
"LUCKNOW"
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : SCT45894-L/RBAV/2026 दिनांक: 30.07.2026

परिपत्र

विषयक: उ0 प्र0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना वर्ष 2026–27 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, संबंधित जरूरी नियम व शर्तें एवं ऑनलाइन फार्म भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया छात्रवृत्ति की वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in/ पर उपलब्ध है। इस संबंध में सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर छात्रवृत्ति हेतु दिये गये विशेष निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फार्म समय सारिणी (संलग्न) के अनुसार निर्धारित समयावधि में भरें एवं भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उसके साथ वांछित अभिप्रमाणित प्रपत्र जैसे–जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम की फीस रसीद, हॉस्टल की फीस रसीद, शपथ पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज इत्यादि को संलग्न करके संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर अपने विभाग में जमा कर दें। समस्त विभागाध्यक्षों/समन्वयकों से अनुरोध है कि केवल पात्र छात्र/छात्राओं के ही फॉर्म सत्यापित करने के पश्चात् अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ प्रकोष्ठ (एस.सी./एस.टी. सेल) में सभी छात्रों की सूची के साथ (उसी दिन जिस दिन छात्रों द्वारा फॉर्म जमा किया गया हो) ससमय जमा करना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन फॉर्म पर प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए छात्र/छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें।

(क) आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रपत्रः–

(i) तहसील द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ ऑनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।

(ii) तहसील द्वारा जारी किये गये आय प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही ऑनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि। (अनु॰जाति/अनु॰ज॰जाति के लिए आय की सीमा रू0 2.50 लाख वार्षिक एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए आय की सीमा रू 2.00 लाख वार्षिक)।

(iii) हाईस्कूल से लेकर गत वर्ष तक उत्तीर्ण सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(iv) पाठ्यक्रम की प्रथम एवं वर्तमान सेमेस्टर की फीस रसीद एवं छात्रावास के वर्तमान सेमेस्टर की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(v) विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सत्यापित आवेदन फॉर्म एवं फोटो मोहर सहित।

(vi) आवेदन पत्र के साथ दिये हुए संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(vii) छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(viii) छात्र द्वारा बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिस पर छात्र का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो।

(ख) दिशा निर्देशः–

(i) सभी पात्र छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट (https://scholarship.up.gov.in/) पर उपलब्ध उत्तर प्रदेश शासन की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सावधानी पूर्वक स्वयं ही भरें। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण फॉर्म भरने के कारण फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति न प्राप्त होने पर छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगें।

(ii) केवल वे ही छात्र/छात्रा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबन्धित हैं अर्थात् स्थायी निवासी हैं।

(iii) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात् स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात् रिसर्च लेवल एवं डॉक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होना अनिवार्य होगा।

(iv) छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी अन्य स्थिति में निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(v) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर ऑनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि छात्र द्वारा समाज कल्याण विभाग को वापस करनी होगी।

(vi) यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।

(vii) वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे अपने राज्य में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेंगे साथ ही अपने राज्य के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे तथा ससमय आवेदन करना सुनिश्चित करें।

(viii) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक/सीडेड तथा खाते की NPCI पर मैपिंग होना आवश्यक है अन्यथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी। जिसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगें।

(ix) 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली द्वारा की जायेगी।

(x) उत्तर प्रदेश के अनु०जा०/अनु०ज०जा० के पात्र छात्रों को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात् छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबंध पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष–यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष– यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना होगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट होगा। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। छात्र के खाते में धनराशि ऑनलाइन अन्तरित होने पर 07 दिन के भीतर शुल्क जमा करना होगा।

(xi) यदि एक ही आय प्रमाण–पत्र पर छात्र/छात्रा के भाई अथवा बहन द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम/संस्था में उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबन्धित छात्र/छात्रा को निर्गत समय–सरिणी के अनुसार संशोधन की तिथि आने पर एक प्रार्थना पत्र अपने आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा जिसमें कि छात्र/छात्रा के भाई/बहन का रजिस्ट्रेशन संख्या, पाठ्यक्रम का नाम एवं संस्था का नाम अंकित करना होगा साथ ही भाई/बहन के आवेदन फॉर्म की प्रतिलिपि भी संलग्न करना होगा।

(xii) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

(xiii) शपथ पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी https://scholarship.up.gov.in/ पर एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.bbau.ac.in/ पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

संलग्नकः–

1. जाँच सूची व परिशिष्ट "क", "ख", "ग", "घ" एवं "च"।
2. छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।
3. समय–सारिणी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (ई–मेल द्वारा):–

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक को इस आशय के साथ कि संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर जाँच सूची पूर्ण करते हुए आवेदन फॉर्म अग्रसारित करना चाहें तथा पात्र छात्रों को अन्तिम तिथि के 10 दिन पूर्व में ही यथाशीघ्र फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
4. कुलसचिव के निजी सचिव, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

(जाँच सूची)

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरणः–

निर्देश – छात्र / छात्राएं कृपया बाक्स में √ या × करें।

1. ऑनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट व संस्थान स्तर (विभागाध्यक्ष/समन्वयक) से प्रमाणित किया गया। ☐
2. माता/पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)। ☐
3. माता/पिता/अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सत्यापन की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
4. जाति प्रमाण पत्र (अधिकारी द्वारा निर्गमित सक्षम)। ☐
5. जाति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सत्यापन की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
6. हाईस्कूल से लेकर गत वर्ष तक उत्तीर्ण पिछले शैक्षिक योग्यता के सभी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
7. पाठ्यक्रम की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
8. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
9. आवेदन पत्र के साथ दिये हुये संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
10. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित। ☐
11. अनु० जा०/ अनु० जनजाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ☐
12. छात्र के बैंक खाते (आधार से लिंक) की पासबुक की प्रति। ☐
13. छात्र के माता/पिता अथवा अभिभावक द्वारा रू० 10/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा। ☐
14. अनु० जा०/ अनु० जनजाति के पात्र छात्रों को शपथ पत्र परिशिष्ट "ख" के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष–यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष–यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ☐
15. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग/ अनु० जा०/ अनु० जनजाति के पात्र छात्रों को घोषणा पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर) परिशिष्ट "घ"/"च" समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जैसा कि लागू हो) के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ☐
16. छात्र/छात्रा के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
17. माता/पिता/अभिभावक के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि। ☐

छात्र/छात्रा का विवरण

छात्र/छात्रा का नामः–

पाठ्यक्रम का नामः–

छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या :–

श्रेणी (वर्ग):–

विभाग का नामः–

मोबाइल नं0:–

उपस्थिति का प्रतिशतः– ☐

गत वर्ष की परीक्षा का प्राप्तांक– ☐

गत वर्ष की परीक्षा का पूर्णांक– ☐

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर :–

अग्रसारित

समन्वयक/विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर एवं मोहर

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाए व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाए।
3. पिता/माता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड/पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया हुआ परिवार रजिस्टर संख्या।
6. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
8. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
9. अनु० जा०/ अनु० जनजाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. पाठ्यक्रम की प्रथम एवं वर्तमान सेमेस्टर की शुल्क रसीद एवं यदि छात्र छात्रावास में आवासित है तो छात्रावास द्वारा प्रदान की गयी वर्तमान सेमेस्टर की शुल्क की रसीद की प्रति।
11. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
12. छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा रू० 10/– के नॉन जूडिशियल स्टांप पेपर पर्व इस आशय का शपथ–पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

अनुसूचित जाति/अुनसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को (1) कु॰/श्रीमती/श्री..... जाति..... निवासी.....ग्राम/मु0.....तहसील.....जिला..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

(**2**).....(संस्थाध्यक्ष),पता.....जनपद.....(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित है। नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षणिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धरित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपयुर्क्त नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वाँछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 07 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं॰–1
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं॰–2
हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

अनु॰जाति/अनु॰ज॰जाति छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँः–

1. यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (आय/जाति/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख पचास हजार या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझें निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या **1** से **9** तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनाँक : .....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (आय/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था .... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है।

उक्त शपथ पत्र में **1** से **9** तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... ..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मै ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैक..... .....के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ । ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था..... ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा ..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक .... के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

माता–पिता/अभिवावक द्वारा शपथ पत्र (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष / जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मै ..... पुत्र / पुत्री ..... जो ग्राम ..... . मोहल्ला ..... जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ ।

1. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री..... आपकी संस्था मे ..... के..... वर्ष मे अध्ययनरत है ।
2. यह कि शपथी के पुत्र/पुत्री ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है । आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र सही है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गए है । प्रपत्र संलग्न है ।
3. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र मे दर्शायी गयी आय रू॰ .....समस्त स्रोतो से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है यदि किसी प्रकार की जाँच मे दर्शायी गयी आय गलत पायी जाति है तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।
4. यह कि शपथी के पुत्र पुत्री को किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है ।
5. यह कि शपथी ने कोई गलत बयान नही किया है ।

स्थान.....

दिनाँक .....

शपथी

सत्यापन

मै शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही है कोई भी तथ्यपरक जानकारी छिपाई नहीं गयी है । आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया ।

स्थान.....

दिनाँक .....

शपथी.....

संख्या-91 /2026/1941 /26-3-2026-174106/

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग- 3 लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी-1487 दिनांक 18-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही हैः-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय /	22 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक

	एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	**<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u>** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
3	**<u>मास्टर डांटा का सत्यापन</u>** समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लाक किया जायेगा। राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लाक की गयी सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
4	**<u>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना।</u>** मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	25 जुलाई 2026 से 14 सितम्बर 2026 तक
उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) के <u>छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रकिया।</u>		
1	**छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।**	15 सितम्बर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
2	**शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना**	15 सितम्बर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक

3	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	15 सितम्बर 2026 से 5 नवम्बर 2026 तक
4	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	06 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** **संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।**	21 नवम्बर 2026 से 26 नवम्बर 2026 तक
6	**मांग सृजन** संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	27 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक
7	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	01 दिसम्बर 2026 से 10 दिसम्बर 2026 तक
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	**एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि**	21 नवम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक
9	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** **सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।**	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
10	**संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना**	1 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
11	**मांग सृजन**	11 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
12	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक

उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रकिया।

1	**नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना**	15 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
2	**छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना**	16 सितम्बर 2026 से 2 नवम्बर 2026 तक
3	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना** नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	16 सितम्बर 2026 से 4 नवम्बर 2026 तक
4	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना,अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना॥	16 सितम्बर 2026 से 10 नवम्बर 2026 तक
5	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना॥ अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना॥	16 सितम्बर 2026 से 25 नवम्बर 2026 तक
6	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर 2026 से 05 दिसम्बर 2026 तक

संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)

5	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** **संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।**	06 दिसम्बर 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक
6	**मांग सृजन**	16 दिसम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक

	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	
7	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	**संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्विक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि**	6 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर तक
9	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** **त्रुटिरहित किये गए सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को सही एवं सत्यापनोपरांत एन0आ ई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।**	01 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
10	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** **जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।**	11 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक
11	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	21 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
12	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक की कार्यवाही। संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी /जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
2. समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही की जायेगी।

3. उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) का परीक्षाफल न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number) व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
6. **विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लागिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।**
7. किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
8. मण्डल स्तर से छात्र/छात्रों का डाटा ब्लॉक (नवीनीकरण होने पर) करने पर उक्त डाटा को ब्लॉक के साथ मांग (Demand Data) से भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी छात्र/छात्रा का दोहरा भुगतान न होने पाए।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाइल।

अज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

• छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यकम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक (प्रथम वर्ष को छोड़कर), आधार नम्बर आदि अभिलेख होना आवश्यक है।

• हाई–स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है।

• नवीनीकरण के छात्र आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication)(आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा ।

• नवीन छात्र डिजीलाकर के माध्यम से के0वाई0सी0 कर आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा ।

• नवीनीकरण तथा नवीन छात्र अपने मोबाइल नम्बर अंकित कर ओ0टी0पी0 के माध्यम से सत्यापन करेंगे तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नम्बर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा।

• आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाता एवं एन०पी०सी०आई० में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष–2023–24 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा ।

• छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें ।

• छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा–हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें ।

• सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें ।

• आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण–पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक प्रबन्ध
सम्बद्ध
शिक्षा –

• पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fee) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।

• छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि तथा विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा ।

• सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यकम पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व पाठ्यकम के वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें।

• छात्र/छात्रायें स्वयं का ई०–मेल आई०डी० व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें ।

• वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।

• नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास (Pass)/प्रोन्नत (Promoted with marks) के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड (Result Not yet Declared) के आप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।

• छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस०एम०एस०(SMS) भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें।

• शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।

• किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किये गये मोबाइल नम्बर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिन्ट मान्य नहीं होगा।

• अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–आधार नम्बर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें ।

• आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें ।

• अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें ।

• शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु

संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।

• छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

• यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

• छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी समस्या के लिये कान्टेक्ट सेन्टर के दूरभाष संख्या 0522–3538700 (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

(सुनील कुमार बिसेन)
संयुक्त निदेशक (मु०)